प्रस्ताव संख्या – FP/UP/Pipeline/149748/202

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 140 /27–4 फतेहपुर, दिनांक – 15/07/2022

सेवा में,

चीफ रीजनल मैनेजर,
इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 कानपुर पार्ट फतेहपुर एवं हमीरपुर,
808–810, 8वां तल ए 14/113 कान चैंबर सिविल लाइन्स,
कानपुर।

विषय :– जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा–घाटमपुर–भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–[illegible]) के किमी0 64.0 से 57.000 के मध्य दांयी पटरी पर एवं जहानाबाद–अमौली मार्ग के किमी 0.000 से 10.000 के मध्य बांयी पटरी पर कु लम्बाई 17.000 किमी0 में एच.डी.डी. तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम.एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पा लाईन बिछाने में प्रभावाति 0.850 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 का पत्र संख्या – 158/81–2–2022–800(152)/2022 दिनांक 13.07.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोड़ल अधिकारी उ0 लखनऊ का पत्रांक 193/11–सी दिनांक 15.07.2022।

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 पत्र संख्या – पी 158/81–2–2022–800(152)/2022 दिनांक 13.07.2022 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा 34 बिन्दुओं के स सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त –03 के क्रम में जिलाधिकारी, फतेहपुर द्वारा निर्गत अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र (मूल में) एवं शर्त संख्या –31 के अनुपालन में प्रभावित सरक्षित वन भूमि 0.850 शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की धनराशि 814113.00 (रुपया आठ लाख चौदह हजार एक सौ तेरह मात्र) ऑन लाईन वाल के माध्यम से जमा करते हुये उसकी रसीद सहित समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मय संलग्नक ऑन लाईन परि पोर्टल पर अपलोड करवाते हुये उसकी हार्ड कापी पांच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :– यथेपरि।

(रामानुज त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, वी.आई.पी. रोड, सिविल लाईन्स, फतेहपुर उत्तर प्रदेश 212601
05180-224493 dfofatehpur@gmail.com

शुद्ध वर्तमान मूल्य (N.P.V) की धनराशि की गणना

जनपद फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा चौडगरा–घाटमपुर–भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–46) के किमी0 64.000 से 57.000 के मध्य दांयी पटरी पर एवं जहानाबाद–अमौली मार्ग के किमी0 0.000 से 10.000 के मध्य बांयी पटरी पर कुल लम्बाई 17.000 किमी0 में एच.डी.डी. तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12" (300 एम.एम) व्यास के कार्बन स्टील गैस पाइप लाईन बिछाने में प्रभावाति 0.850 हे0 संरक्षित वन भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है :–

1. प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल	:–	**0.850 हे0**
2. ईको क्लास	:–	**03**
3. प्रभावित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व	:–	**0.1**
4. उपरोक्त इको क्लास एवं वानस्पतिक घनत्व वाले वन भूमि का शुद्ध वर्तमान दर	:–	**रु0 9.57780 लाख प्रति हे0**
5. प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	:–	**0.85 X 957780.00**
	=	**814113.00**

(रुपया आठ लाख चौदह हजार एक सौ तेरह मात्र)

उपरोक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी। तथा भविष्य में यदि उक्त दर में कोई बढोत्तरी होगी तो तदानुसार धनराशि देय होगी।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक : 74 / 22-1 दिनांक गाजियाबाद 3 जुलाई 2010

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
आई0सी0एल0 भवन,
प्लाट नं0-4, आर0के0 पुरम,
सेक्टर-9, नई दिल्ली।

विषय: गाजियाबाद में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोहन नगर चौराहे से महामाया स्टेडियम तक तथा हापुड़ चुंगी से डासना पुलिस चेक पोस्ट तक गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.872 है0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

संदर्भ: उ0प्र0 शासन की पत्र सं0-जी0आई0-196 / 14-2-2010-1017 / 10 दिनांक 02.07.2010

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश जो मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित तथा इस कार्यालय तथा आपको भी पृष्टांकित किया गया है के बिन्दु सं0-15 के क्रम में प्रस्तावक विभाग इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा। उक्त के क्रम में 20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के नाम से भेजने का कष्ट करें ताकि उक्त धनराशि से वृक्षारोपण कराया जा सके। धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0सं0	विवरण	दर प्रति कि0मी0	वांछित धनराशि
1	20 कि0मी0 3 लाइनों में वृक्षारोपण	रू0 4,50,000 / -	रू0 90,00,000 / -
2	प्रशासनिक व्यय	4 प्रतिशत	रू0 3,60,000 / -
	कुल योग :-		रू0 93,60,000 / -

भवदीय

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

igl

INDRAPRASTHA GAS LIMITED

(A Joint Venture of GAIL (India) Ltd., BPCL & Govt. of NCT of Delhi)

Ref: IGL/PNG/STEEL/FOREST/ 1776

Date: 7 July 2010

To,

District Forest Officer
Sec 23 Sanjay Nagar
Ghaziabad

Kind Attn: Mr. Yashpal Malik

Subject: Laying of 12"/16"/18", 26.6 Km Gas Pipeline from GAIL SV-1 (Behind Dasna Jail) on Dadri Bawana Pipeline to GAIL SV-1 at Ghazipur

Dear Sir,

This is reference to your letter No 74/22-1 Dated 3-July-2010 for planting three row of trees in twenty Kilometer and administrative cost @ 4 % for planting the trees for amount of **Rs.93.60,000/- (Rupees Ninety Three Lacs Sixty Thousand Only).**

Enclosed please find demand draft No.017022 dated 7-July-2010 of Rs.90,00,000/- for planting three row of trees in twenty Kilometer and draft No.017024 dated 7-July 2010 of Rs.3,60,000/- against administrative cost @ 4 % in favour of "Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad.

We therefore request you to provide the permission for laying the pipeline in order to commence the project of national & environmental importance at the earliest.

Thanking you and assuring you our best cooperation at all times.

Thanking You,

7/7/10
SFD 923

Yours Sincerely,

Vikas Bansal
Chief Manager

संख्या - पी 158/81-2-2022-800(152)/2022

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

Ad.S.O.
मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0 प्र0,लखनऊ।

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक, 13 जुलाई 2022

विषय- जनपद-फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-46) के किमी0 64.000 से किमी0 57.000 के मध्य दायी पटरी पर एवं जहानाबाद-अमौली मार्ग के किमी 000.000 से 10.000 के मध्य बायी पटरी पर कुल लंबाई 17.000 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12"(300 एम एम) ब्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.850 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में । **(प्रस्ताव सं0- एफपी/यूपी/पाइप लाइन/149748/2021)**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या-3364/11-सी/-एफपी/यूपी/ पाइपलाइन/149748/2021, दिनांक 30-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के दिशा-निर्देश के चैप्टर-4 के बिन्दु- 4.2 तथा पत्र संख्या-एफसी-11/165/2019/एफसी, दिनांक 27-7-2020, पत्र सं0-II/एफ0सी0/आर0ओ0सी0/95-2015(Part-vI, दिनांक 22.11.2021 एवं पत्र दिनांक 03.11.2021 मे विहित प्राविधानों के क्रम में जनपद-फतेहपुर में इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 द्वारा चौडगरा-घाटमपुर-भोगनीपुर मार्ग (राज्य मार्ग सं0-46) के किमी0 64.000 से किमी0 57.000 के मध्य दायी पटरी पर एवं जहानाबाद-अमौली मार्ग के किमी 000.000 से 10.000 के मध्य बायी पटरी पर कुल लंबाई 17.000 किमी0 में एच0डी0डी0 तकनीक/ओपन ट्रेंच के माध्यम से 12"(300 एम एम) ब्यास के कार्बन स्टील गैस पाईप लाइन बिछाने में प्रभावित 0.850 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न शर्तो /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती हैं-

1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portel.
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.

5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6	No labour camps shall be established on the forest land.
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
10	Violation of any of these conditions will amut to violation of Forest (Conservaton) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https:/ parivesh.nic.in/).
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड्कों/वर्तमान (Surface Right में प्रयुक्त रास्तों के किनारे -किनारे ही बिछाये जायेंगे।
14	पाइप लाइन /टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच. की गहराई 2.00 मीटर तथा चौडाई 1.00 मीटर से अधिक नही होगी।
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।
17	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुन: लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की

	वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
20	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया है।
24	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।
26	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।
27	नोडल अधिकारी,उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
28	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
29	प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
30	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु

	परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।
31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
32	परियोजना में 12 इंच व्यास कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।
33	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
34	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय,लखनऊ।

(2) वन संरक्षक,/क्षेत्रीय निदेशक,सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज।

(3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।

(4)- प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग, फतेहपुर।

(5)- चीफ रीजनल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैस लि0 808-810 8वां तल ए 14/13 कान चैंबर सिविल लाइंस कानपुर।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 193 /11–सी–FP/UP/Pipeline/149748/2021, लखनऊ, दिनाँकः जुलाई 15 , 2022

<u>प्रतिलिपिः–</u> वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 वृत्त, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति की **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों** में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, फतेहपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के कम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई–चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्वान्तिक स्वीकृति **बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों** तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के कम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धो के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र / उल्लंधन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>प्रतिलिपिः–</u> चीफ रिजनल मैनेजर, इन्द्रप्रस्थ गैर लि0, 808–810, 8वां फ्लोर, ए 14 / 13 कान चैबेंर सिविल लाइन्स, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये **भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर** बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।